

राजस्थान सरकार

क्र.सं. 119

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प :- अटल सेवा केन्द्र राशमी अजनाराजस्व लोक अदालत अभियान  
न्याय आपके द्वार-2018

-: आदेश :-

प्र0सं0 :- 87/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार हल्का 3351 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त डि.डी.टी. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा सं.पलपुरा तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्बत् 2013-14 में खाता संख्या 20 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>सं.पलपुरा</u>	<u>20</u>	<u>S.B.B.5</u>	<u>S.73.1</u>

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(87)2018  
प्रतिलिपि :-दिनांक : राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़  
10-05-18

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री S.B.T. राशमी को सूचनार्थ।

401  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़